अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2018 दाउलाल पुत्र हरदास रंगा, राजरंगो की गली बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09—05—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दाउलाल रंगा स्वयं उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ का जवाब/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रस्तुत किया था, जिस पर अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध न करवाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 21.02.2018 को प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय में 28.02.2018 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में प्रार्थना की है लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान बूझकर उसके प्रार्थना पत्र दिनांक दिनांक 26.12.2017 में चाही गई सूचनाए उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 250/— प्रतिदिन के हिसाब से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जावे एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी दाऊ लाल रंगा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:—

1. **मुकद्दमा संख्या रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 29/14 शिव शंकर बनाम सरकार की पत्रावाली के संलग्न नकल फर्द अहकाम 13.10.2017 से आज दिनांक तक**
2. **अगामी तारीख पेशी से अवगत कराने का श्रम करें।**

चूंकि अपीलार्थी दाऊलाल रंगा पुत्र हरदास रंगा के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 (प्राप्ति दिनांक 27.03.2018) के अनुसार वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के पत्रांक रीडर/2018/206 दिनांक 09.03.2018 से प्राप्त हो चुकी है इसलिए अपीलार्थी ने अपनी अपील दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है और अब वह कोई कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती हैं। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को भी सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर